

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही नियम किसी दायिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।
- (v) उपर जमा करवाने की धमक विधेयारी आवेदक की होगी

एकल खेडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 923 दिनांक 17/03/2021

प्रार्थी श्री केशव उर्फ केशव लखवा 3/0 श्री तुलसीराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय 2-20:105 बच्चीखाना

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 13731/- जमा शतानाग

जरिये रसीद संख्या 9069/6642, 6643

दिनांक 17/03/2021 को जमा करा दी है ।

18/3/2021

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

2/1/2021

92516251